

संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष 2025

क्रमांक / 31 / स्टेनो / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक :- 23/01/2026

मैं फिरोज अख्तर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम, नर्मदापुरम जिले में पदस्थ समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, के मध्य उचित रूप से कार्य, वितरण एवं संपादन हेतु पूर्व आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक वर्ष 2025 आदेश क्रमांक 96/स्टेनो/2025 नर्मदापुरम दिनांक 01.07.2025 की कंडिका क्रमांक 03 एवं आदेश क्रमांक 139/स्टेनो/2025 नर्मदापुरम दिनांक 23.09.2025 की कंडिका क्रमांक 2 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 12 एवं 13 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम के अनुमोदन उपरांत, निम्नानुसार संशोधन करता हूं, जो कि माननीय महोदय के अनुमोदन उपरांत दिनांक 27.01.2026 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट	क्षेत्राधिकार एवं साधारण कार्यक्षेत्र	कार्य, जो संबंधित न्यायालय की अधिकारिता में है, न्यायालय द्वारा उनके नाम के स्तम्भ क्र. 3 में वर्णित क्षेत्र के संबंध में किये जावेंगे।
01.	02.	03.	04.
02.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम सुश्री के. शिवानी	1. चौकी जी.आर.पी. नर्मदापुरम से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण। 2. खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 से संबंधित आपराधिक प्रकरण। 3. आरक्षी केंद्र बाबई से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)	1. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 2. कॉलम नंबर-3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण (समरी) प्रकरण एवं खात्मा प्रतिवेदन। 3. नर्मदापुरम वन विभाग परिक्षेत्रों, खनन अपराध एवं भा.वन अधि.म.प्र. वन उपज अधिनियम प्रकरणों का विचारण एवं उनसे संबंधित कार्य। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 5. कॉलम नंबर 03 में उल्लेखित थाने, आरक्षी केंद्र सिटी कोतवाली एवं देहात नर्मदापुरम क्षेत्रों से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों (महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों को छोड़कर) का

			निराकरण। 6. अपील न्यायालय से आने वाले समस्त आदेशों एवं रिमांड होने वाले समस्त प्रकरणों का निष्पादन एवं अन्य विविध कार्यवाहियों का निराकरण। 7. आरक्षी केंद्र बाबई से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण (Relating to offences registered by the special tiger strike force units को छोड़कर)। 8. आरक्षी केंद्र क्षेत्र देहात व कोतवाली से उत्पन्न होने वाले समस्त परिवाद पत्र।
03.	न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नर्मदापुरम श्रीमती दिव्या मित्तल	1. जिला नर्मदापुरम से संबंधित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण। 2. आरक्षी केंद्र माखन नगर क्षेत्र से उत्पन्न सभी आपराधिक प्रकरण। 3. ग्राम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न आपराधिक प्रकरण।	1. पूर्व से लंबित समस्त दांडिक प्रकरण। 2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर अंतरित एवं नर्मदापुरम जिले एवं अन्य न्यायिक दंडाधिकारी के कार्यक्षेत्र के उन प्रकरणों का विचारण जो समय-समय पर सक्षम न्यायालय द्वारा अधिकृत एवं अंतरित कर सौंपे जावे। 3. जिला नर्मदापुरम से संबंधित समस्त आरक्षी केंद्र क्षेत्र से उत्पन्न धारा-138 परकाम्य लिखत अधिनियम के समस्त प्रकरण एवं स्थायी वारंट। 4. जिला नर्मदापुरम से संबंधित धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के रिक्त न्यायालयों के स्थायी वारंट से संबंधित प्रकरण। 5. स्तंभ क्रमांक 3 में उल्लेखित आरक्षी केंद्र से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र, संक्षिप्त विचारणीय प्रकरण(समरी) प्रकरण एवं खात्मा प्रतिवेदन। (आरक्षी केंद्र माखननगर से उत्पन्न जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण) अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन विभाग परिक्षेत्रों से उत्पन्न वन अधिनियम एवं वन्य प्राणी अधिनियम से संबंधित प्रकरण को छोड़कर)

			6. कॉलम नम्बर 03 में उल्लेखित थाने से उद्भूत रिक्त न्यायालयों के बेम्यादी वारण्टों से संबंधित प्रकरणों (महिलाओं के विरुद्ध मजिस्ट्रेट ट्रायल अपराध के प्रकरणों को छोड़कर) का निराकरण।
--	--	--	--

अनुमोदन हेतु माननीय महोदय की ओर सादर प्रेषित।

अनुमोदित

24/11/2016

प्रशासक जिला एवं सेशन दफतरी

जिला नर्मदापुरम (म.प्र.)

23/11/2016

फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम

कार्यालय / न्यायालय :- मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, नर्मदापुरम (म.प्र.)
पीठासीन अधिकारी-फिरोज अख्तर

क्रमांक / / पृ.क. / 2026

नर्मदापुरम, दिनांक 23 / 01 / 2026

प्रतिलिपि:-

01. माननीय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय एस.सी./एस.टी. एक्ट/एन.डी.पी.एस. एक्ट नर्मदापुरम की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
03. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. लोक अभियोजक/अतिरिक्त लोक अभियोजक नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
05. पुलिस अधीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
06. जिला अभियोजन अधिकारी/ए.पी.पी. नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
07. समस्त आरक्षी केंद्र प्रभारी जिला एवं तहसील की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
08. खाद्य निरीक्षक, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
09. नापतौल निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
10. औषधि निरीक्षक नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
11. सांख्यिकी लेखक, जिला न्यायालय नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
12. जिला लोक अभियोजक अधिकारी नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
13. जिला आबकारी अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
14. जिला परिवहन अधिकारी, नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
15. अध्यक्ष अभिभाषक संघ नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनीमालवा/पिपरिया/सोहागपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



फिरोज अख्तर
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नर्मदापुरम